



माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालीयर म.प्र

अ.ग. 13741 III-15

चंदनमल पिता सागरमल जी जैन उम्र-60 वर्ष,

धंधा--ब्यापार नि.ग्रा. उमर तेह. रावटी जि. रतलाम — प्रार्थी

विरुद्ध

मोहनलाल पिता सागरमलजी जैन उम्र 50 वर्ष,

धंधा--ब्यापार, नि.ग्रा. मलवासी, तेह. रावटी जि. रतलाम — प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय सैलाना जिला रतलाम (श्री वर्मा सा.) के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क. अपील-2/14-15 में पारित आदेश दिनांक 23.07.15 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3741-III/15

जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-5-2016	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं । आवेदक के अभिभाषक पूर्व पेशी दिनांक 21-1-2016 को उपस्थित होकर आगामी पेशी दिनांक 18-2-2016 आदेश पत्रिका में अंकित कर हस्ताक्षर किये गये हैं, किन्तु उसके पश्चात आज दिनांक तक आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, और न ही उसके द्वारा प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली गई है । आवेदक को तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदक एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(मनोज गोयल)
अध्यक्ष